



2026:AHC:65941

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत सं - 7381 वर्ष 2026

दानवीर पाल आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: रूमा सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: विद्यात्मा कुमारी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 80

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. अपर शासकीय अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसे अभिलेखों पर लिया गया है।
2. आवेदक की अधिवक्ता सुश्री रूमा सिंह, प्रतिपक्षी संख्या-2 की अधिवक्ता सुश्री विद्यात्मा कुमारी और राज्य-प्रतिपक्षी संख्या-1 के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया। .
3. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.06.2022 और संभोग आदेश दिनांक 08.07.2022 के साथ-साथ विशेष मामला संख्या-689 वर्ष 2025 (राज्य बनाम दानवीर पाल) की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो केस अपराध संख्या-065 वर्ष 2022 से उत्पन्न होता है, धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भ०द०वि० और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत, थाना-मीरगंज, जिला बरेली, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बरेली की अदालत में दिनांक 17.01.2026 के समझौते के आधार पर लंबित है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों के बीच मामले से समझौता किया गया है। प्रस्तुत मामले के आवेदक और पीड़ित ने विवाह कर लिया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 03.03.2024 को उनके विवाह से एक बच्ची का जन्म हुआ था। वे बहुत लंबे समय से एक ही छत के नीचे पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। आवेदक और पीड़ित की शादी को प्रस्तुत मामले के पहले सूचनाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उसने समझौता भी किया है। आवेदक, पीड़ित और सूचनाकर्ता के बीच दिनांक 17.01.2026 को एक समझौता विलेख निष्पादित किया गया था, जिसे 16.03.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था, जो पहले से ही अभिलेखों पर पर है। दिनांक 16.03.2026 की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच समझौता हुआ है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौता, विवाह और बच्चे के जन्म को देखते हुए, प्रस्तुत आवेदक के खिलाफ कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दी जाए।

5. प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने भी आवेदक के अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया है और इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आवेदक और पीड़ित के बीच विवाह बहुत पहले हुआ है और अब आवेदक और पीड़ित अपने बच्चे के साथ पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। विवाह को प्रस्तुत मामले के पहले सूचनाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जो पीड़ित का पिता होता है।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया; हालांकि, आवेदक और पीड़ित के बीच विवाह के तथ्य, साथ ही उनके बच्चे के जन्म को आज दायर जवाबी हलफनामे में विवादित नहीं किया गया है।

7. मैंने पक्षगण की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ सुनी हैं और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

8. निस्संदेह, आवेदक और पीड़ित का विवाह बहुत पहले हुआ है और आवेदक और पीड़ित के विवाह से एक बच्चे का जन्म हुआ था। आवेदक, पीड़ित और प्रतिपक्षी संख्या-2/प्रथम सूचनाकर्ता के बीच समझौता भी हुआ है, जिसे विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.03.2026 के आदेश के माध्यम से सत्यापित भी किया है।

9. पुलिस निरीक्षक द्वारा के. दंडपाणि बनाम राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1056 और मफत लाल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 433, में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है



जिसमें शीर्ष न्यायालय ने इसमें अभियुक्त के आपराधिक अभियोजन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आरोपी ने अभियोक्ता के साथ विवाह किया था और अदालत उक्त तथ्य से आंखें नहीं मूंद सकती है। आवेदक के अधिवक्ता की प्रस्तुति में, उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तुत आवेदक के मामले में कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि आवेदक ने अभियोक्ता के साथ विवाह भी किया है और पक्ष खुशी-खुशी एक साथ रह रहे हैं। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य पर, आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक के आपराधिक अभियोजन को कानून के साथ-साथ तथ्य में भी बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है।

10. के. दंडपाणि (उपरोक्त) और मफत लाल (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्त ने अभियोक्ता के साथ विवाह किया था और दूसरी बात, अदालत उक्त तथ्य से आंखें नहीं मूंद सकती है। चूंकि के. दंडपाणि (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय छोटा है, इसलिए, इसे पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत किया जाता है: -

"अनुमति दी गई।

अपीलकर्ता जो अभियोक्ता का मामा है, वलायार समुदाय से संबंधित है, जो तमिलनाडु राज्य में सबसे पिछड़ा समुदाय है। वह एक निजी कारखाने में दैनिक मजदूरी पर लकड़हारे का काम करता है। उसके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चे का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 6 सपठित धारा 6, 5(i) सपठित धारा 6, 5(i) सपठित धारा 5(j)(ii) के तहत बलात्कार करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त अपराधों को करने के लिए मुकदमे के बाद उन्हें दोषी ठहराया गया था और 31.10.2018 को सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय, तिरुपुर द्वारा 10 साल की अवधि के लिए कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय ने 13.02.2019 के एक आदेश द्वारा दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने यह अपील दायर की है।



अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता श्री एम.पी.पार्थिवन ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने उससे शादी करने के वादे पर अभियोक्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उन्होंने कहा कि, वास्तव में, उन्होंने अभियोक्ता से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं।

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण न्याय करना चाहिए और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के पारिवारिक जीवन को परेशान करना न्याय के हित में नहीं हो सकता है।

08 मार्च, 2022 को कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद, हमने जिला न्यायाधीश को उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अभियोक्ता का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। अभियोक्ता का बयान अभिलेखों पर रखा गया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके दो बच्चे हैं और अपीलकर्ता द्वारा उनकी देखभाल की जा रही है और वह एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रही है।

राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. ने अपीलकर्ता को इस आधार पर कोई राहत देने का विरोध किया कि अभियोक्ता अपराध की तारीख को 14 वर्ष की थी और उसने 15 वर्ष की आयु में पहले बच्चे को जन्म दिया था और जब वह 17 वर्ष की थी तब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच विवाह कानूनी नहीं है। उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की कि उक्त विवाह केवल सजा से बचने के उद्देश्य से हो सकता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा उसे राहत दिए जाने के बाद अपीलकर्ता अभियोक्ता और बच्चों की देखभाल करेगा।

इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित विचार है कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा जो अभियोक्ता का मामा है, इस न्यायालय के संज्ञान में लाई गई बाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रद्द किया जाना चाहिए। यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकता है और अपीलकर्ता और अभियोक्ता के सुखी पारिवारिक जीवन को



परेशान नहीं कर सकता है। हमें तमिलनाडु में मामा के साथ लड़की की शादी की प्रथा के बारे में सूचित किया गया है।

उपरोक्त उल्लिखित कारणों से, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में अलग कर दिया जाता है और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

यदि अपीलकर्ता अभियोक्ता की उचित देखभाल नहीं करता है, तो वह या अभियोक्ता की ओर से राज्य इस आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय का रुख कर सकता है।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या-(एस) में श्रीराम उरव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में 41/2021, 10.01.2025 को निर्णय लिया, ने अपीलकर्ता को दोषसिद्धि के साथ-साथ इस आधार पर लगाई गई सजा को भी रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता/आरोपी और शिकायतकर्ता/पीड़ित ने एक-दूसरे से शादी की थी।

12. इसी तरह, दसारी श्रीकांत बनाम तेलंगाना राज्य (2024) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 936 में रिपोर्ट किए गए मामले में, जिसमें समान परिस्थितियों और लगभग समान प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। दसारी श्रीकांत (उपरोक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर-8 से 10 इस प्रकार हैं: -

"8. चूंकि, अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे से शादी कर ली है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि का आरोपी अपीलकर्ता को जेल भेजे जाने पर विनाशकारी परिणाम होगा जो बदले में शिकायतकर्ता के साथ उसके वैवाहिक संबंधों को खतरे में डाल सकता है।

9. परिणामस्वरूप, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अभियुक्त अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने के इच्छुक हैं, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 27 जून, 2023 के आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय द्वारा पारित 9 अप्रैल, 2021 के फैसले को एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।

13. महेश मुकुंद पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 614 फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354ए, 363, 366, 376 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध की कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह अभिलेखों पर लाया गया कि आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह से दो बच्चे पैदा हुए, जिनके दस्तावेज अपील के साथ पेश किए गए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया कि अभियोजन जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि इससे अपीलकर्ता/आरोपी और पीड़ित और उनके बच्चों को अनुचित उत्पीड़न होगा।

14. सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या-7212 वर्ष 2025 से उत्पन्न मधुकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के एक अन्य फैसले में, एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या-7495 वर्ष 2025 से उत्पन्न होने वाले एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या-723, दिनांक 20.11.2023 के मामले में अपराध संख्या-302 वर्ष 2023, दिनांक 20.11.2023 की कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 324, 141, 147, 149, 452, 323, 504 और 506 के तहत रद्द कर दिया और साथ ही पक्षों के बीच समझौते के आधार पर धारा 376, 354-ए, 354-डी, 509 और 506 भ०द०वि० के तहत मामला अपराध संख्या-304 वर्ष 2023, दिनांक 21.11.2023 की कार्यवाही को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय के प्रस्तर-6, 7 और 8 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"6. शुरुआत में, हम मानते हैं कि भ०द०वि० की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। आमतौर पर, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से जुड़ी कार्यवाही को रद्द करने से हतोत्साहित किया जाता है और इसे हल्के में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालाँकि, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 द०प्र०स० के तहत न्यायालय



की शक्ति एक कठोर सूत्र द्वारा विवश नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. प्रस्तुत मामले में, हम एक असामान्य स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां भ०द०वि० की धारा 376 सहित गंभीर आरोपों को लागू करने वाली प्राथमिकी प्रतिपक्षी द्वारा दर्ज की गई पहले की प्राथमिकी के तुरंत बाद दर्ज की गई थी। घटनाओं का यह क्रम आरोपों को एक निश्चित संदर्भ देता है और सुझाव देता है कि दूसरी प्राथमिकी एक प्रतिक्रियावादी कदम हो सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी प्राथमिकी में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उसने प्रस्तुत किया है कि वह अब शादीशुदा है, अपने निजी जीवन में बस गई है, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उसकी शांति और स्थिरता ही भंग होगी। उसका रुख न तो अस्थायी है और न ही अस्पष्ट, उसने अभिलेखों पर एक हलफनामे सहित लगातार कहा है कि वह अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करती है और चाहती है कि मामला समाप्त हो जाए। पक्षगण ने भी अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और आपसी समझ पर पहुंच गए हैं। इन परिस्थितियों में, मुकदमे को जारी रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह केवल सभी संबंधितों, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के लिए संकट को लम्बा खींचेगा, और उत्पादक परिणाम की संभावना के बिना अदालतों पर बोझ डालेगा।

8. इसलिए, इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्ट रुख और निपटान की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

15. उपरोक्त निर्णयों के साथ-साथ मामले के तथ्यों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत आवेदन सफल होता है और इसकी अनुमति दी जा सकती है। तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है।



16. आरोप पत्र दिनांक 03.06.2022 और संज्ञान आदेश दिनांक 08.07.2022 के साथ-साथ विशेष मामला संख्या-689 वर्ष 2025 (राज्य बनाम दानवीर पाल) की पूरी कार्यवाही, जो केस अपराध संख्या-065 वर्ष 2022 से उत्पन्न होती है, धारा 363, 366, 376 (2)(एन) भ०द०वि० और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत, थाना-मीरगंज, जिला बरेली, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, बरेली की अदालत में लंबित है, आवेदक के खिलाफ रद्द/अपास्त की जाती है।

17. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

मार्च 30, 2026

राधिका